उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या- 47/2017अधि0-418/सात-न्याय-1-17-15(अ)/13 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक- 22 जून , 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री हरिवंश लाल, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय को उनके स्वयं का इलाज निजी चिकित्सालय में 18-9-16 से 21-9-2016 एवं 9-11-2016 से दिनांक 23-11-2016 तक कराये गये उपचार पर हुये व्यय क्रमश- रू0 29142/-, रू0 4130/- के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या- मु0चि0अ0/चि0प्र0पूर्ति/2017/2023, दिनांक 10-2-2017 तथा चिकित्सा अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी, बापू भवन, लखनऊ के पत्र संख्या- सचि0डिस्पे/चि0प्र0पू0/2017/998, दिनांक 22-2-2017 इस प्रतिपूर्ति हेतु सत्यापित अनुमन्य धनराशि क्रमश- रू0 29142/- एवं रू0 2310/- कुल रू0 31452/- (रूपये इक्तीस हजार चार सौ बावन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अधीन लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402, दिनांक 08-11-2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49- चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का भुगतान श्री हरिबंश लाल के पी0पी0ओ0 संख्या- सचि0-1573(।)पुन0लख0(ज0भ0)/97, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, लखनऊ के खाता संख्या- 10223040967 के खाते में डाली जायेगी।

ह0/- रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 47/2017/अधि0-418(।)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आहरण वितरण अधिकारी, न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 12/2015/ए-1-544/दस-2015-10(6)/90, दिनांक 31-7-2015 के क्रम में एक अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल बाउचर्स सहित।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 10-2-2017 के संदर्भ में।
5- अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी बापू भवन, लखनऊ को उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 22-2-2017 के संदर्भ में।
6- श्री श्री हरिवंश लाल, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, न्याय विभाग।
7- इण्टरनेट पर अपलोड करने/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
ह0/-अरूण कुमार राय,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in